भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2035
11 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: कृषि क्षेत्रों को औद्योगिक कचरे से सुरक्षित रखने के लिए उपाय

2035. श्री हरेन्द्र सिंह मलिकः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मुजफ्फरनगर जिले सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश में औद्योगिक अपशिष्ट से प्रदूषित हो रहे कृषि क्षेत्रों को बचाने के लिए कोई उपाय किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या औद्योगिक अपशिष्ट के कारण बंजर हो चुकी कृषि भूमि के लिए किसानों को मुआवजा देने की कोई प्रक्रिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (घ): उत्तर प्रदेश सरकार की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नियमित रूप से मुजफ्फरनगर सहित प्रदूषणकारी उद्योगों का निरीक्षण करता है। अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों की जांच के लिए अधिकृत तकनीकी संस्थानों द्वारा थर्ड पार्टी निरीक्षण भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त, अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों में ईटीपी के आउटलेट पर ऑनलाइन सतत अपशिष्ट निगरानी प्रणाली स्थापित की गई है।

बंजर हो चुकी कृषि भूमि के लिए मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि, भूमि की उर्वरता बनाए रखने और मिट्टी के संरक्षण के लिए भूमि संसाधन विभाग ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के वाटरशेड विकास घटक के तहत उत्तर प्रदेश में 2.64 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करने वाली 56 वाटरशेड परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

*****